फाइल नं0-71-3099/100/2020-03-

109/2022/I/201169/2022

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
एटा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , एटा हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि का आवटंन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–मे0का0एटा/2022/631, दिनांक 01.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा जमा की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 के रूप में जमा की गयी धनराशि **रू0 11,38,57,774.00 (रू0 ग्यारह करोड़ अड़तीस लाख सत्तावन हजार सात सौ चौहत्तर मात्र)** इस शर्त के अधीन अवमुक्त की जाती है कि प्रधानाचार्य एवं वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, एटा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यदायी संस्था द्वारा जमा की गयी धनराशि का रिफण्ड प्राप्त नहीं हुआ है।

नियम व शर्ते प्रतिबन्धों /

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 11,38,57,774 (रुपये ग्यारह करोड़ अड़तीस लाख सत्तावन हजार सात सौ चौहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031058901 मेडिकल कालेज, एटा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्ययक-आय)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक -07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, जल निगम, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।